ग्राम पंचायत गन्दड़, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176097 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गन्दड़, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती विन्ता देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती पूजा मेहरा	01.04.2022 से 03.03.2024
2	श्री इन्द्रजीत	04.03.2024 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री विपन जम्बाल	01.04.2022 से 22.09.2022
2.	श्रीमती रेणू कुमारी	23.09.2022 से 23.12.2023
3.	श्री विपन जम्बाल	24.12.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री शशिकान्त	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत गन्दड़ के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	6.28
2	4.2	निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि हस्तगत रखना	5.22
3	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	20.27
4	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.03
5	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना व दुर्विनियोजन करने बारे	0.03
6	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	4.27
7	8.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	5.58
8	8.3	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	2.86
9	9	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई(Plastic Waste Management Unit) की तीन मशीने स्थापित करने हेतु अनियमित व्यय करना	9.83
10	10.1	दो मस्ट्रोल की मजदूरी अदायगी करने हेतु दोहरा व गलत भुगतान करना	0.23
11	10.2	निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.05
12	11	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	7.35

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत गन्दड़ का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2018 से 31/03/2019 के लिये किया गया था, जिस के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः–

(1)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2019 तक

क्र0 सं0	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	3	निर्णीत	मांग व प्राप्ति रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 261 से पुष्टि उपरान्त
2	4	अनिर्णीत	–
3	5 (क,ख,ग)	अनिर्णीत	–
4	6	अनिर्णीत	–
5	7	अनिर्णीत	–
6	8	अनिर्णीत	–
7	9	अनिर्णीत	–
8	10	अनिर्णीत	–
9	11 (क,ख)	अनिर्णीत	–
10	12	अनिर्णीत	–
11	13	अनिर्णीत	–
12	14	अनिर्णीत	–
13	15	अनिर्णीत	–
14	16	अनिर्णीत	–
15	17	अनिर्णीत	–
16	18	अनिर्णीत	–
17	19	अनिर्णीत	–
18	20	अनिर्णीत	–
19	21	अनिर्णीत	–
20	22	अनिर्णीत	–

21	23(i)(ii)	अनिर्णीत	—
22	24	अनिर्णीत	—
23	25	अनिर्णीत	—

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत गन्दड़ के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01.01.2025 से 08.01.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	03/2023	06/2022
2023—24	03/2024	09/2023

अस्वीकरण (Disclaimer):—**वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।**

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/22 दिनांक—08.01.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2025/01 दिनांकः—01.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है:—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹) (कॉलम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	579175.90	2796560.00	3375735.90	2115572.00	1260163.90
2023-24	1260163.90	960256.00	2220419.90	1127794.00	1092625.90

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति(₹)	योग (₹) (कॉलम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1597511.05	3198246.40	4795757.45	2692070.40	2103687.05
2023-24	2103687.05	1324286.20	3427973.25	1401310.20	2026663.05

कुल योग (1+2)1092625.90+2026663.05=**3119288.95**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹3119288.95 तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** के अनुसार अन्तशेष ₹2491320.90 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र.	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/तीसरा वित/वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी/पी.डबल्यू.एम.यू.पी (एस.बी.एम)	का•के•सह•बैंक गन्दड़	20019004959	444653.50
2	14वाँ वित्त	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50055926401	0.65
3	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	यूको•बैंक लम्बागांव	10680110038079	1507640.75
4	सी.एस.सी	इंडसइंड बैंक पालमपुर	1000167415850	17450
5	शौचालय (एस.बी.एम)	—	-	0
6	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			513167
7	हस्तगत शेष(14वां वितायोग की ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			8409
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः—				₹2491320.90
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :—				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः—				₹3119288.95
पंचायत के बैंक खातों व नकद का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः—				₹2491320.90
अन्तरः—				627968.05

नोटः— अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹6.28 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत गन्दड़ द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹627968.05 का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/03 दिनांकः–04.01.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी/32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

सचिव ग्राम पंचायत गन्दड़ द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** व बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि अनुदान तीसरा वित,वी.के.वी.वाई.एन,एस.डी.पी व पी.डबल्यू.एम.यू (एस.बी.एम) आदि शीर्षों के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20019004959 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है एवं नियमों/निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपतिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/07 दिनांकः–04.01.2025 द्वारा

आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–जी.पी.जी/32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि स्कीम वाईज खातों का अनुसंधारण कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ही बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) लेखा खाता/खाता बही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022–23 व 2023–24 की खाता बही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाता बही/लेखा बही खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ था तथा निम्न कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं0,मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि ₹
1	वी.के.वी. वाई.एन	पी/13,14 /23,25.06. 2022	मस्ट्रोल सं.–29567,126/25.06. 2022	निर्माण जीपेवल रोड मेन रोड से लेकर अशोक कुमार के घर की ओर वार्ड–4	79850
2	वी.के.वी. वाई.एन	पी/16/27 .06.2022	मस्ट्रोल सं.–29566	निर्माण पंचम शहीद महिला मण्डल भवन वार्ड–5	22704
3	एस.डी.पी	34,4,14,32, 33,31/.29. 09.2023	मस्ट्रोल–1516,1778,1534,1002,1 478, मस्ट्रोल –1537/25.03. 2023,निल,24.08.2023	कम्पलीशन ऑफ गुरू रविदास भवन गांव गन्दड़ वार्ड–4	197711
4	एस.डी.पी	05,06,07/. 29.09.2023	1779,13,14,/25.03.2023	मरेरा निर्माण रोड रास्ता मेन रोड से लेकर नवीन कुमार की गौशाला की ओर वार्ड–5	156305
5	वी.के.वी. वाई.एन	10/29.09. 2023	1536/29.09..2023	पंचम शहिद महिला मण्डल भवन वार्ड–2	13014
6	15.एस.बी. एम	3/29.09. 2023	004/17.05.2023	पलासटिक वेस्ट मनेजमेंट यनिट पलांट गन्दड़ बिजली फिटिंग 3 फेंस	64974

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/20 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या जी.पी.जी/32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 सभा निधि व 14वें वित्तायोग के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि ₹5.22 लाख को रखने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/– तक की राशि ही नकद रूप में हस्तगत रखी जा सकती है।

सभा निधि व 14 वां वित्तायोग की प्रस्तुत की गई आनलाईन रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार प्रावधित सीमा से अधिक नकद राशि **₹**521576/- को हस्तगत रखा गया था, जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। रोकड़ बही में इतनी अधिक राशि का नकद के रूप में पाया जाना, इसके दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस राशि को बैंक में जमा न करवाने से इस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी ग्राम पंचायत को वंचित होना पड़ाः–

क्र. स.	शीर्ष/अनुदान	रो• ब• पृ•	जिस दिनाँक को दर्शाया गया	सीमा से अधिक रखी गई राशि (₹)
1	सभा निधि	1	01.04.2022 व 31.03.2024	513167
2	14वां वित	1	01.04.2022 व 31.03.2024	8409
			कुल योग	**521576**

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/08 दिनांकः–04.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी/32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त शेषों बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए तथा यह मामला विभाग के उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि, इसकी गहनता से जांच पड़ताल करने उपरांत तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त ,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्टीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणवधि के दौरान ₹1,35,564.50 से ₹4,44,653.50 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनां की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना सख्यां राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/20 दिनांकः 08.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–जी.पी.जी/32 दिनांक 08.01.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹20.27/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/01 दिनांकः–01.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट**–2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹20,26,663.05/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	सी.एस.सी	31.03.2024	19400
2	14वॉवित्त	31.03.2024	580415.05
3	15वॉवित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1426848
		कुल जोड़	**2026663.05**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/04 दिनांक–04.01. 2025 द्वारा अनुरोध क्रिया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र–जी.पी. जी/32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 प्राप्त अनुदानों के लिये रसीदें जारी न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिये इन नियमों में दिये गये प्रारूप–3 मे रसीद जारी करनी आवश्यक है।

ग्राम पंचायत के लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर.टी.जी.एस./ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई थी,जिससे कि निम्न अनुदानों की वास्तविक प्राप्तियों की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकीः—

क्र0सं0	अनुदान	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	प्राप्त राशि (₹)
1	15वां वित	12.05.2022	2	75000
2	15वां वित	15.06.2022	3	85485
3	15वां वित	19.08.2022	5	90719
4	15वां वित	26.08.2022	6	175000
5	15वां वित	29.03.2023	19	136078
6	15वां वित	17.06.2023	6	100000

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः—

7.1 सम्पत्ति कर/गृहकर की राशि ₹0.03 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत(Outstanding)नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/01 दिनांकः—01.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹3180**/— की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणों के शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/05 दिनांकः—04.01.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी.जी/32 दिनांकः—08.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹800/- का वसूली हेतु शेष पाया जाना :—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल. श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400(सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार 2 विवाह पंजीकृत किये गये थे,जिस हेतु ₹200 / 400 की दर से कोई राशि नहीं वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹800 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थेः–

क्र0सं0	नम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	विवाह शु0 रजि. पृ.स	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	आदित्य देव	04.05.18	08.01.24	146	400	00	400
2	अजय कुमार	01.02.24	05.03.24	147	400	00	400
				कुल	**800**	**00**	**800**

उक्त न वसूली गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 06 दिनांकः–04.01.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत गन्दड़ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी / 32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जायेगी व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसकी अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके, सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने व दुर्विनियोजन करने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 अनुसार विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/01 दिनांकः–01.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत गन्दड़ द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान ₹3000 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई थी, परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिससे कि सरकारी आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता :–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि (₹)
1	2022–23	1800
2	2023–24	1200

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/06 दिनांकः–04.01.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत गन्दड़ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–जी.पी.जी/32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.27/– लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश ,निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत गन्दड़ के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹427036.71/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/13 दिनांकः–07.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी/32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹5.58/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गन्दड़ के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–"6"** पर संकलित राशि ₹5,57,684.21/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/14 दिनांकः–07.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी/32 दिनांकः–08.01.

2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित एवं नियम प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः लाखों रूपये के सामान को स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये क्रय किये गये प्रत्येक सामान का पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹2.86/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म W या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण व सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹286221/– का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम ,प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/17 दिनांकः–07.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी/32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये

बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। भविष्य में उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 एस.बी.एम.अनुदान के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (Plastic Waste Management Unit) की तीन मशीनें स्थापित करने हेतु राशि ₹9.83/– लाख की सामग्री का अनियमित क्रय करने बारे:–

ग्राम पंचायत द्वारा प्लास्टिक कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की तीन मशीनें स्थापित करने हेतु निम्नविवरणानुसार राशि ₹983000 का भुगतान किया गया था। चयनित मास 06/2022 के व्यय वाउचरों का अवलोकन करने पर निम्न लिखित आपतियां पाई गई:–

1.प्रधान सचिव, सूचना तकनीकी हि•प्र• सरकार की अधिसूचना संख्या:–DIT-1-(5)-4/2009-e-Proc-13 दिनांक 01.06.2018 के अनुसरण में सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) के आदेशानुसार पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पृष्ठांकन संख्या RDD-XEN/2018-e-Tendring-41525-648 दिनांक 17.07.2018 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना अनुसार किसी भी वस्तु या सेवा, जिसकी अनुमानित लागत ₹500000 या उससे अधिक हो, को खरीदने हेतु e-Procurement प्रणाली अपनाई जाएगी तथा finalization of tender होने के बाद आवश्यक रूप से अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विवरण सहित तत्काल e-Procurement Portal पर प्रविष्टि की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी।

2.हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते नियम 2002 के नियम 67(5) ए के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹50000 से अधिक की खरीद पर न्यूनतम दो समाचार पत्रों द्वारा टेन्डर कॉल किये जाने अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनुदान के अंतर्गत केवल एक ही समाचार पत्र में टेन्डर कॉल द्वारा तीन निविदायें प्राप्त करके, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की तीन मशीनें राशि ₹983000 की खरीदी की गई थी, जोकि उपरोक्त नियम की पूर्णतः

अवहेलना के दृष्टिगत अनियमित तथा आपतिजनक है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा ₹983000 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

3.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(3) के अनुसार उक्त सामग्री की खरीद से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा एक उप–समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है, जिसमें कि प्रधान,उप प्रधान ,दो वार्ड सदस्य जो ग्राम पंचायत द्वारा नामित किये गये हों व संबंधित ग्राम पंचायत सचिव। जिसका ग्राम पंचायत द्वारा गठन नहीं किया गया था।

4.उक्त क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम अर्थात भंडार नियंत्रक की दर संविदा (Rate Contract) अथवा Gem Portel से किया जाना वांछित था। यदि उक्त सामग्री हि0 प्र0 सरकार के भंडार नियंत्रक के Rate Contract अथवा Gem Portel से उपलब्ध नहीं होती है तो पंचायत द्वारा उक्त सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदायें आमंत्रित करके किया जा सकता था, ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी।

5.उक्त क्रय की गई सामग्री को स्थायी परिसम्पत्ति स्टॉक रजिस्टर में भी इन्द्राज नहीं किया गया था।

6.अन्य वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित थेः–बजट प्राक्कलन, टेन्डर फार्म रजिस्टर, धरोहर राशि रजिस्टर अनुबंध,आपूर्ति आदेश,माप–पुस्तिका इत्यादि ,जिन्हे प्रस्तुत नहीं किया गया।

7.उक्त राशि की संबंधित अनुदान के बैंक विवरण व बैंक पास बुक में भी निकासी की प्रविष्टि की पुष्टि भी नहीं हो पाई, जिससे संविदाकार को वास्तव मे कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा यह भी स्पष्ट नही हो पाया है कि भुगतान चैक माध्यम से हुआ अथवा आर.टी.जी.एस. माध्यम से।

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं./ दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं. / दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर (₹)	राशि (₹)
1.SBM	P/12/ 17.06.2022	M/s JAG Trading CO.Tail Control Gate Sunder Nagar	383/03.02 /2022	Plastic Waste Shradder Machine 5HP(Incl.GST)	1	450000	450000
				Bailing Press Machine 5HP(Incl.GST)	1	275000	275000
				Plastic Dust Remover Machine 5HP(Incl.GST)	1	258000	258000
				Total			983000

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति पूर्ण तथ्यों सहित अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/09 दिनांकः–06.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी/32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि इस राशि की वास्तव में बैंक से निकासी नहीं हुई है, इसे e-Procurement Portal पर भी ऑनलाईन नहीं किया गया है,इस यूनिट के लिये एक ही समाचार पत्र में टेंडर आंमत्रित किये गए व उक्त हेतु उप–समिति का गठन भी नहीं किया गया है,उक्त का क्रय Gem Portel से न करके खुले बाजार से करके तीन मशीने खरीदी गई,इन मशीनो को स्थायी परिसंपति स्टॉक रजिस्टर में इंद्राज कर लिया जाएगा व अन्य अभिलेख कार्यालय विकास खण्ड लम्बागांव में जमा है ,जिन्हे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रत्युतर तथ्य रहित व उपरोक्त नियमों, दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा इतनी अधिक राशि का व्यय नियमो की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं था। अतः मामला उच्चाधिकारियो के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि मामाले की छानबीन व पड़ताल करने उपरान्त वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.1 दो मस्ट्रोल की मजदूरी अदायगी करने हेतु राशि ₹0.23/– लाख का दोहरा व गलत भुगतान करने बारे :–

ग्राम पंचायत द्वारा दो मस्ट्रोल, मस्ट्रोल संख्या 1516 व 1517 द्वारा ,अनुदान एस.डी.पी व वी.के.वी.वाई.एन के अंतर्गत दो कार्यो– कम्पलीशन गुरू रविदास भवन गांव गंदड़ वार्ड–4 तथा निर्माण कार्य जीपेवल रोड़ मेन रोड़ से वीरता देवी, फुमण राम वार्ड–4 में 7 मजदूरों को दिनांक 08.03.2023 से 16.03.2023 तक दोनो में दोहरी उपस्थिती दर्शाई गई थी। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा 7 मजूदरों को उक्त अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹22878 का दोहरा/गलत भुगतान किया गया था। इससे स्वतः ही स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा इस राशि का दुर्विनियोजन/गबन किया गया था:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर संख्या / दिनांक	मस्ट्रोल रजिस्टर पृ0स0	मस्ट्रोल सं0	जिस अवधि के लिये मस्ट्रोल जारी किया गया	कुल भुगतान की गई राशि ₹	अवधि 08.03.2023 से 16.03.2023 तक दोहरे/गलत भुगतान की राशि ₹
1	एस.डी.पी	34/ 29.09.2023	27	1516	07.03.2023 से 31.03.2023	63550	22878
2	वी.के.वी.वाई. एन	1/ 29.09.2023	27	1517	07.03.2023 से 30.03.2023	21782	
					कुल योग	85332	22878

इसके अतिरिक्तः–

1.उक्त मस्ट्रोल जिस प्रस्ताव संख्या व दिनांक्रक द्वारा जारी किये गए है, उसका ब्यौरा भी मस्ट्रोल जारी रजिस्टर में नहीं दिया गया था।

2.इन मस्ट्रोल में मज़दूरी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए, जिससे इन मजदूरों की उपस्थिति भी सन्देहजनक व प्रश्नात्मक है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त कार्यों को करवाने हेतु खरीदी गई निर्माण सामग्री बारे स्थिति भी, कि कितनी खरीदी गई तथा वास्तविक में कितनी खपत हुई, का कोई भी ब्यौरा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि सामग्री खरीद की मात्रा अधिक पाई जाती है तो, उसकी भी वसूली की जाये।

4.मस्ट्रोल संख्या 1516 में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक व प्रश्नात्मक बनाता है।

5.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु इन मस्ट्रोल पर केवल प्रधान के हस्ताक्षर ही करवाये गए थे, जिससे उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

6. मस्ट्रोल संख्या 1516 के अंतर्गत करवाये गए कार्य व किये गए भुगतान से संबंधित माप–पुस्तिका को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण के दौरान ही पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/21 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPG/32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि इस बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त किये गए दोहरे/गलत भुगतान बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष के बैंक खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस व इसके जैसे अन्य मामलों की विभागीय स्तर पर भी विस्तृत जांच की जाये व यथास्थिति कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये। उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रिम पैरा के रूप में भी प्रेषित किया गया है।

10.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.05/—लाख का अधिक भुगतान करना :—

निर्माण खेल मैदान खुवाड़े वार्ड—2 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 25823 के पृष्ठ संख्या 27,28 व 29 में निर्माण सामग्री, सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 108 दिनांक 10.01.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 70 बैग का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण **₹5056/—** का अधिक भुगतान किया गया था:—

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यों पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर (₹)	राशि (₹)
1.	नरेगा	सीमेंट	70 बैग	54 बैग	16	316.01	5056

<u>वास्तविक खपत योग्य सामग्री का विवरण :—</u>

1. Item-5 P/L(1:5:10)-6m3X2.60(Cement Factor)=15.6 Bags
2. Item-6 P/L(1:2:4) -6m3X6.40(Cement Factor) =38.4 Bags or say total =54 Bags

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/10 दिनांक:—06.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—जी.पी.जी/32 दिनांक:—08.01.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अधिक किये गए भुगतान बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि माप—पुस्तिकाओं में उच्च तकनीकी अधिकारियों के परीक्षण जांच उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 विभिन्न निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में राशि ₹7.35/— लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 06/2022 व 09/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹735015/–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका:–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.वी.के.वी. वाई.एन	पी/13,14 /23,25. 06.2022	मस्ट्रोल सं. –29567,126/2 5.06.2022	निर्माण जीपेवल रोड मेन रोड से लेकर अशोक कुमार के घर की ओर वार्ड–4	79850	बजट प्राक्कलन,माप पुस्तिका,34–सी
2.वी.के.वी. वाई.एन	पी/16/ 27.06. 2022	मस्ट्रोल .सं. –29566	निर्माण पंचम शहीद महिला मण्डल भवन वार्ड–5	22704	प्रस्ताव,स्वीकृति पत्र,बजट प्राक्कलन , माप पुस्तिका 34–सी
3.एस.डी. पी	पी/17/ 27.06. 2022	मस्ट्रोल .सं. –29569	निर्माण कार्य मिनि सटेडियम वार्ड–4	8280	प्रस्ताव ,बजट प्राक्कलन माप पुस्तिका, 34–सी
4.मनरेगा	निल/07. 06.2022	145/17.02. 2022	निर्माण सुरक्षा दीवार सुभाष चन्द वार्ड–1	5688	माप पुस्तिका, 34–सी
5.मनरेगा	निल/07. 06.2022	146/17.02. 2022	निर्माण सुरक्षा दीवार प्रदीप चन्द की जमीन में वार्ड–1	5688	माप पुस्तिका, 34–सी
6.मनरेगा	निल/07. 06.2022	148/17.02. 2022	निर्माण सुरक्षा दीवार पूर्ण चन्द स्पुत्र लखा राम वार्ड–5	5688	माप पुस्तिका, 34–सी
7.मनरेगा	निल/07. 06.2022	144/17.02. 2022	निर्माण सुरक्षा दीवार रीता देवी की जमीन में वार्ड–1	5688	माप पुस्तिका, 34–सी
8.मनरेगा	निल/07. 06.2022	109/10.02. 2022	निर्माण वाउण्डरी वॉल पंचवटी खुवाडे वार्ड–2	18960	माप पुस्तिका, 34–सी
9.मनरेगा	निल/07. 06.2022	112/12.01. 2022	निर्माण एम्बुलेंस रोड मेन रोड बार मंदिर से लेकर प्रशोतम चन्द के घर की ओर वार्ड–3	30021	माप पुस्तिका, 34–सी
10.मनरेगा	निल/07. 06.22	113/12.01. 2022	निर्माण जीपेवल रोड सुरक्षा दीवार सहित नरेश कुमार के घर से लेकर केहर सिंह के घर तक वार्ड–5	60042	प्रस्ताव,माप पुस्तिका, 34–सी
11.वी.के. वी.वाई.एन	01/29. 09.2023	मस्ट्रोल –1517	जीपेवल रोड मेन से वीरता देवी ,फुमण राम वार्ड–4	21782	प्रस्ताव,बजट प्राक्कलन 34–सी
12.एस.डी.	34,4,14,32	मस्ट्रोल	कम्पलीशन ऑफ गुरू	197711	बजट

पी	,33,31 / .29.09. 2023	–1516,1778,1534,1002,1478, मस्ट्रोल –1537 / 25.03. 2023,निल,24.08. 2023	रविदास भवन गांव गन्दड़ वार्ड–4		प्राक्कलन,माप पुस्तिका, 34–सी
13.एस.डी. पी	05,06,07 / .29.09. 2023	1779,13,14, / 25 .03.2023	मरेरा निर्माण रोड रास्ता मेन रोड से लेकर नवीन कुमार की गौशाला की ओर वार्ड–5	156305	माप पुस्तिका, 34–सी
14. वी.के. वी.वाई.एन	10 / 29. 09.2023	1536 / 29.09.. 2023	पंचम शहिद महिला मण्डल भवन वार्ड–2	13014	बजट प्राक्कलन ,स्वीकृति पत्र , माप पुस्तिका, 34–सी
15.एस.बी. एम	3 / 29.09. 2023	004 / 17.05. 2023	पलासटिक वेस्ट मनेजमेंट यनिट पलांट गन्दड़ बिजली फिटिंग 3 फेंस	64974	बजट प्राक्कलन ,माप पुस्तिका, 34–सी
16.एस.डी. पी	16,15 / 29.09.2023	2726,2727 / 29. 09..2023,निल	निर्माण शौचालय सामुदायिक भवन भवन नजदीक हरिजन बस्ती फला वार्ड–3	10052	प्रस्ताव,बजट प्राक्कलन ,माप–पुस्तिका,34–सी
17.एस.डी. पी	17 / 29. 09.2023	2728 / निल	निर्माण शौचालय गुरू रविदास महिला मण्डल भवन वार्ड–3	5290	स्वीकृति पत्र,माप पुस्तिका, 34–सी
18.मनरेगा	निल / 16. 09.2023	16,0196 / 26.05. 2023,13.06.2023	निर्माण खेल के मैदान व चिल्डन पार्क गांव मरेरा टासमीटर के पास	23278	माप पुस्तिका, 34–सी
			कुल योग	**735015**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत गन्दड़ से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 12 दिनांकः–06.01. 2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी. जी/32 दिनांक 08.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹22.35/– लाख का अनियमित भुगतान करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 06/2022 व 09/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर केवल प्रधान के हस्ताक्षर ही करवाये गए थे। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹2234861.2/– का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/20 दिनांकः–08.01.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत गन्दड़ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी/32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा ही भुगतान किया जा रहा है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13. मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएंः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान व संबंधित सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गन्दड़ द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रोल की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. निम्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया था जिस

कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका ।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जो कि तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैं:–

क्र•स•	अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	वी.के.वी.एन.वाई	13/23.06.2022	29567	66830
2	वी.के.वी.एन.वाई	16/27.06.2022	29566	22704
3	एस.डी.पी	17/17.06.2022	29569	8280
4	एस.डी.पी	34/29.09.2023	1516	63550
5	वी.के.वी.एन.वाई	01/29.09.2023	1517	21782

2.ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया था, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

3.पंचायत सचिव द्वारा अवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करेगा,जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

4.क्र•स• 4 व 5 पर दर्शाए गए मस्ट्रोल पर मजदूरी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाए गए, जिससे इन मजदूरों की उपस्थिति भी सन्देहजनक व प्रश्नात्मक है।

उक्त नियमों के अभाव में वितीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/18 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– जी.पी.जी/32 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अवगत करवाया कि मस्ट्रोल से संबंधित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रत्युतर तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें नियमानुसार कार्रवाई करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

14. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "11" व सलग्न विभिन्न परिशिष्ट के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका, तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

5.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को ,किसी व्यक्तिगत निर्माण कार्य के लिये बनाई गई निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2020/20 दिनांकः– 08.01.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत गन्दड को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी/32 दिनांकः–08.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त अनियमितताओं बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अंकेक्षण अवधि के चयनित मास के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित प्रपत्र–34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

15 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/01 दिनांकः 01.01.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी.जी/32 दिनांकः—08.01.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसके चलते लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है , जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	01	12
2	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया था।	11	37
6	अनुदानरजिस्टर(हि.प्र.पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997)	08	34
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
12	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	....
13	माप—पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
14	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय—समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/1 दिनांकः—01.1.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी.जी/32 दिनांकः—08.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:—

17.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना:—

रसीद बुकों के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म—2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप—4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखें। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया। जिस

कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है।

अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत गन्दड़ द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत गन्दड़ के चयनित मासों 06/2022 व 09/2023 के विभिन्न अनुदानों के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/20 दिनांक:–08.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–जी.पी.जी/32 दिनांक:–08.01. 2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित कियें जा रहें है।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17.3 वाउचर नम्बरों का न लगाया जाना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022–23 व 2023–24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं।

अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17.4 राशि ₹0.03/— लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं।

अंकेक्षण अवधि 2022—23 के चयनित मास 06/2022 सम्बन्धी व्यय के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार **₹2767/—**का भुगतान किया दर्शाया गया था, जिसके बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है:—

क.स.	मद	वाउचर सं/दिनांक	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि ₹
1.	सभा निधि	11/17.06.2022	टेलिफोन बिल	5	1260
2.	सभा निधि	15/17.06.2022	टेलिफोन बिल	5	1507
				कुल	2767

उक्त बिल/वाउचर को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/19 दिनांकः—08.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी.जी/32 दिनांकः—08.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिल/वाउचरों बारे अगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित व उपरोक्त नियमानुसार संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त बिल/वाउचर दिखाए जाने सुनिश्चित किये जायें अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष के खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

17.5 रसीद बुकों का अधूरा उपयोग करके रसीदें खाली छोड़ने बारे:—

आय के नमूना अँकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा रसीद बुकों का अधूरा उपयोग करते हुये अंकेक्षणावधि में एक रसीद बुक में 11 रसीदें खाली छोड़ी गई थी जिनका विवरण निम्न तालिका में है। यह खाली रसीदें किस उद्देश्य से छोड़ी गई थीं, इस बारे अँकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नही किया गया। अतः इस सन्देहजनक कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इन खाली रसीदों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र॰	रसीद बुक क्रमाँक	उपयोग की गई अन्तिम रसीद संख्या	खाली रसीदों की संख्या
1.	0113101 से 0113200	0113189	11

18 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

कृ/० प्र०

1850-1854 28 MAR 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)260/2020—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत गन्दड़, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

28 MAR 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

कृ/० प्र०

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या – 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP GANDER BLOCK LAMBAGAON DISTT. KANGRA (HP)-17609 FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	579175.90	2796560.00	3375735.90	2115572.00	1260163.90
2023-24	1260163.90	960256.00	2220419.90	1127794.00	1092625.90

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1597511.05	3198246.40	4795757.45	2692070.40	2103687.05
2023-24	2103687.05	1324286.20	3427973.25	1401310.20	2026663.05

दिनांक..........

31

ANNEXURE -2(पैरा संख्या-"6.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP.GANDER BLOCK LAMBAGAON DISTT. KANGRA(H.P)FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	SMB(TOILET)	2022-23	0.00	113172.00	113172.00	113172.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CSC	2022-23	0.00	511165.00	511165.00	492393.00	18772.00
		2023-24	18772.00	628.00	19400.00	0.00	19400.00
3	14TH FC	2022-23	591472.05	0.00	591472.05	11057.00	580415.05
		2023-24	580415.05	0.00	580415.05	0.00	580415.05
5	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1006039.00	1142306.00	2148345.00	643845.00	1504500.00
		2023-24	1504500.00	235052.00	1739552.00	312704.00	1426848.00
6	MGNREGA	2022-23	0.00	1431603.40	1431603.40	1431603.40	0.00
		2023-24	0.00	1088606.20	1088606.20	1088606.20	0.00

Indorsed

सचिव
ग्राम पंचायत Gander
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

32

परिशिष्ट—3 (पैरा संख्या 4.1(6))

कार्यालय ग्राम पंचायत गन्दड़ विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176097

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत गन्दड के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क.	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22 को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / तीसरां वित्त / वी.के.वी.एन.वाई / एस.डी.पी / पी.डबल्यू.एम.यू.पी (एस.बी.एम)	का•के•सह•बैंक गन्दड	20019004959	135564.50	444653.50
2	14वाँ वित्त	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50055926401	12447.65	0.65
3	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	यूको•बैंक लम्बागांव	10680110038079	1006018.75	1507640.75
4	सी.एस.सी	इंडसइंड बैंक पालमपुर	1000167415850	0	17450
5	शौचालय (एस.बी.एम)	—	-	0	0
	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			513167	513167
	हस्तगत शेष(14वां वितायोग की ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			8409	8409
			कुल योग	**1675606.9**	**2491320.9**

Inderjeet
पचायत सचिव
ग्राम पंचायत गन्दड
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र.

ग्राम पंचायत ... जिला कांगड़ा
हस्ताक्षर
दिनांक........

37

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या "4.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत गन्दड़ विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176097

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 565 व 2023–24 में 573 परिवारों का रु 50/ प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	1980	565	50	28250	30230	25800	4430
2023–24	4430	573	50	28650	33080	29900	3180
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹3180**/– है।						

Inderjeet
पंचायत सचिव [redacted]
ग्राम पंचायत Gandar
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०

हस्ताक्षर
दिनांक........

34

परिशिष्ट –5 (पैरा संख्या –"7.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत गन्दड़ विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176097

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2022–23	1800/-
2	2023–24	1200/-
	कुल	3000/-

Inderjeet
Gander

35

परिशिष्ट - 6 (पैरा संख्या - "8.1" "8.2")

ग्राम पंचायत गन्दड़ विकास खण्ड लम्बागांव, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ,औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर क्रय करना व स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1VKVNY	14/25.06.2022	Cement Bag	126/25.06.2022	M/s H.P.C.S Lambagaon	35	372	13020	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.NREGA	Nil/07.06.2022	Cement Bag	109/10.02.2022	M/s H.P.C.S Lambagaon	60	316.01	18960.6	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
3.NREGA	Nil/07.06.2022	Cement Bag	113/12.01.2022	M/s H.P.C.S Lambagaon	190	316.01	60041.9	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4.SDP	Nil/29.09.2023	Water Tank 500ltr	1778/25.03.2023	M/s Meem Hardware Store Gander	1	2500	2500	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		PVC Tap			1	110	110	
		Wall Putti			20	400	8000	
		Regmar			2	15	30	
		Patti "8"			2	20	40	
5.SDP	Nil/29.09.2023	PVC Pipe 110X20'	1779/25.03.2023	M/s Meem Hardware Store Gander	19	1200	22800	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		PVC Pipe 75mX20'			1	700	700	
		PVC Elbow 75mm			1	70	70	
		PVC Tee 110 mm			2	140	280	
6.SDP	P/6/29.09.2023	Sand Crasher(cft)	13/16.05.2023	M/s Katock Builders Barram Jaisinghpur	488	48.71	23770.48	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.Crsh.(cft)			1060	35.7	37842	
		River Sand.(cft)			240	33.1	7944	
		Agg.60mm.(cft)			290	35.7	10353	
7.SDP	7/29.09.2023	Sand Crasher(cft)	14/16.05.2023	M/s Katock Builders Barram Jaisinghpur	370	48.71	18022.7	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.Crsh.(cft)			650	35.7	23205	
		River Sand.(cft)			150	33.1	4965	
		Agg.60mm.(cft)			178	35.7	6354.6	
8.SBM	P/3/29.09.2023	Electrical Material	004/17.05.2023	M/s Harbans Electricals Paplah			64974	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
9.SDP	P/16/29.09.2023	TMT Sariya 10mm,8mm	2726/20	M/s Puri Traders Alampur			5112	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
10.SDP	P/17/29.09.2023	Bricks (Inciding GST,Labour)	2728/Nil	M/s Puri Traders Alampur			5290	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
11.SDP	P/15/29.09.2023	TMT Sariya 10mm,8mm,Taar	2727/Nil	M/s Puri Traders Alampur			4940	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
12.SDP	P/32/29.09.2023	Labour Work	1002/Nil	M/s S.D Traders Jangal	70	150	10500	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
13.SDP	P/33/29.09.2023	Electrical Material	1478/24.08.2023	M/s S.D Traders Jangal			38625	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
14.SF	P/30/29.09.2023	White Lime	452/27.04.2023	M/s Vineet Karyana &General	17	240	4080	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
15.NREGA	Nil/16.09.2023	Sand (cft)	200/11.07.2023	M/s Ashok Kumar Umri Marera	215	51.42	11055.3	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.(cft)			380.29	40	15211.6	
		Gatka(cft)			380	40	15200	
16.NREGA	Nil/16.09.2023	Sand (cft)	0199/11.07.2023	M/s Ashok Kumar Umri Marera	213.47	51.42	10976.6274	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.(cft)			465	40	18600	
17.NREGA	Nil/16.09.2023	Cement Carriage	15/26.05.2023	M/s Katock Builders Barram	60	30	1800	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Shuttering(sqft)			70	12	840	
18.NREGA	Nil/16.09.2023	Sand (cft)	001/11.07.2023	M/s Ashok Kumar Umri Marera	180	51.42	9255.6	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.(cft)			256	40	10240	
		Boulder(cft)			230	40	9200	
19.NREGA	Nil/16.09.2023	Sand (cft)	002/11.07.2023	M/s Ashok Kumar Umri Marera	230	51.42	11826.6	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.(cft)			210	40	8400	
		Boulder(cft)			295	40	11800	
20.NREGA	Nil/16.09.2023	Sand (cft)	196/11.06.2023	M/s Ashok Kumar Umri Marera	210	51.42	10798.2	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.(cft)			210	40	8400	
		Boulder(cft)			70	40	2800	

36

21.15TH FC	23/29.09.2023	SSD 512 GB,Antivirus	753/Nil	M/s Computor Solution Upper Lambagaon			4800	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
22.15TH FC	24/29.09.2023	Cartage,Epson Ink ,Window Installation	754/Nil	M/s Computor Solution Upper Lambagaon			3950	स्टॉक प्रविष्टियां व निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
						G/Total	557684.21	

नोट:- 1 क्रम संख्या 4 से 12, व 14 से 22 तक की निविदाओं को आमंत्रित नहीं किया गया।

2. क्रम संख्या 1 से 22 तक की स्टॉक प्रविष्टियों को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया।

[illegible]

[illegible] प्रशासक [illegible]

[illegible]

परिशिष्ट-7 (पैरा संख्या -"8.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत गन्दड़ विकास खंड लम्बागाँव जिला काँगड़ा हि.प्र. पिन कोड -176097 द्वारा क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री

क्र. स.	मद का नाम	वाउचर संख्या / दिनांक	फर्म का नाम	बिल संख्या / दिनांक	सामग्री	मात्रा CFT	दर	राशि
1	SDP	P/6/29.09.2023	M/s Katock Builders Barram Jaisinghpur	13/16.05.2023	Sand	488	48.71	23770.48
					Agg.Crsh.	1060	35.70	37842.00
					River Sand	240	33.10	7944.00
					Agg.60mm	290	35.70	10353.00
2	SDP	7/29.09.2023	M/s Katock Builders Barram Jaisinghpur	14/16.05.2023	Sand Crasher	370	48.71	18022.70
					Agg.Crsh	650	35.70	23205.00
					River Sand	150	33.1	4965.00
					Agg.60mm	178	35.7	6354.60
3	NREGA	Nil/16.09.2023	M/s Ashok Kumar Umri Marera	200/11.07.2023	Sand	215	51.42	11055.30
					Agg.(cft)	380.29	40	15211.60
					Gatka(cft)	380	40	15200.00
4	NREGA	Nil/16.09.2023	do	0199/11.07.2023	Sand (cft)	213.47	51.42	10976.63
					Agg.(cft)	465	40	18600.00
5	NREGA	Nil/16.09.2023	do	001/11.07.2023	Sand (cft)	180	51.42	9255.60
					Agg.(cft)	256	40	10240.00
					Boulder(cft)	230	40	9200.00
6	NREGA	Nil/16.09.2023	do	002/11.07.2023	Sand (cft)	230	51.42	11826.60
					Agg.(cft)	210	40	8400.00
					Boulder(cft)	295	40	11800.00
7	NREGA	Nil/16.09.2023	do	196/13.06.2023	Sand (cft)	210	51.42	10798.20
					Agg.(cft)	210	40	8400.00
					Boulder(cft)	70	40	2800.00
Total								286220.71

NOTE:- उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा Xऔर W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही क्रय की गई है।

निरीक्षक

Inderjeet
Gander

37